रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 310] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 1974/पौष 2, 1896

No. 310] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 1974/PAUSA 2, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF COMMERCE

### PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

*New Delhi, the 23rd December 1974*

SUBJECT.—*Import of diesel generating set.*

**No. 190-ITC(PN)/74.**—In order to alleviate the problem created by unforeseen cuts in power supply, and to ensure that interruptions in production as a result of such power cuts are minimised to the extent possible, it has been decided to extend the facility for import of stand-by diesel generating sets to actual users who may require such stand-by power supply to sustain their production effort.

2. Import of stand-by diesel generating sets will be permitted for primarily export oriented units; in industries where the cost of power is a relatively small percentage of the total cost of production or where power interruptions or power failure may lead to a heavy loss of production in *industries producing items of importance to the economy.*

3. In order to ensure at the same time that indigenous production of such diesel power generating equipment is not adversely affected, it has been further decided that import

applications shall be screened carefully, with a view to ensuring the maximum utilisation of indigenously produced diesel generating sets which can be delivered within a reasonable period of time before imports of such sets are permitted.

4. Normally, imports will be allowed from the rupee payment area, but import from the General Currency Area will also be considered on merits, especially if such imports can be covered by foreign credits.

5. Actual users who required such imported diesel generating sets may apply on or before June 30, 1975 direct to the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, and not through the sponsoring authorities concerned, in the form prescribed for import of Capital Goods/Heavy Electrical Plant (Form 'E' as per Appendix 3 of the Hand Book of Rules and Procedure 1974-75). Applicants need not furnish particulars against serial number 2(iii), (iv) and (v), 7, 8, 10, 11, 12, 14 and 16 in the application form. However, the applicants should furnish the following information along with their import applications:—

(i) Output, both in terms of quantity and ex-factory value, of items produced during the year 1973-74.

(ii) Quantum of power consumed from supplies made available by the State Electricity Board or other utility public systems during 1973-74.

(iii) Anticipated production during the year 1975-76 (in quantity and in value).

(iv) Quantum of high speed diesel oil/light diesel oil expected to be consumed in working the diesel power generating set(s) on the basis of present anticipations during 1974-75.

(v) Specifications, country of import, exact c.i.f. value and delivery schedule of the equipment proposed to be imported, together with a copy of the suppliers' proforma invoice.

6. Import of spares for a value not exceeding 10 per cent of the c.i.f. value of the licence will also be permitted. Applicants who wish to import spare parts with the generating sets should, therefore, include the value for import of spares in the proforma invoice and in the import application.

7. Before applying, actual users are requested to ensure that they will obtain permission, as required under the Electricity (Supply) Act, 1948, to instal such stand-by diesel generating sets, from the State Electricity Boards from whom they obtain their normal power supply.

8. No application will be entertained after the 30th June, 1975. Applications as and when received will be dealt with expeditiously.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

## वाणिज्य मंत्रालय

### सार्वजनिक सूचना

### आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1974

**विषय.**—डीजल जनरेटिंग सेटों का आयात ।

**सं० 190-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.**—बिजली के संभरण में अप्रत्याशित कटौती से उत्पन्न समस्या को कम करने और इस बात का निश्चय करने के विचार से कि जहां तक संभव हो, इस प्रकार की बिजली की कटौती के कारण उत्पादन में जो व्यवधान आ गए हैं, उसे कम करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि उन वास्तविक उपयोक्ताओं को डीजल जेनरेटिंग सेटों के सहारे के आयात के लिए सुविधा बढ़ाई जाए जिन्हें अपने उत्पादन प्रयास को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के बिजली संभरण सहारे की जरूरत है ।

2. डीजल जेनरेटिंग सेट महारे के आयात की प्रारम्भिक अनुमति निर्यात अभिमुख एककों को; उद्योगों में जहां उत्पादन के कुल खर्च में बिजली का खर्च उसकी तुलना में कम प्रतिशत का है या जहां बिजली व्यवधान या बिजली नहीं आने से **अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मदों को उत्पादित करने वाले उद्योगों** में उत्पादन में भारी कमी होने वाली है, उन को दी जाएगी ।

3. उसी समय इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि इस प्रकार के डीजल जेनरेटिंग उपस्करों के देशी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, आगे यह निश्चय किया गया है कि आयात आवेदनपत्रों की इस बात का सुनिश्चय करने के लिए भली भांति जांच की जाएगी कि इस प्रकार के सेटों के आयात की अनुमति दिए जाने से पहले एक उपयुक्त अवधि के भीतर ही देश में उत्पादित डीजल जेनरेटिंग सेटों का वितरण अधिकतम उपयोग के लिए किया जा सकता है । आयात सामान्यतः रुपये में भुगतान क्षेत्र के लिए ही स्वीकृत होगा । किन्तु पात्रता के आधार पर सामान्य मुद्रा क्षेत्र से भी आयात करने का विचार किया जाएगा और विशेष रूप से तब जब इस प्रकार के आयात विदेशी क्रेडिटों के अन्तर्गत आते हैं ।

4. वे वास्तविक उपयोक्ता जिन्हें इस प्रकार के डीजल जेनरेटिंग सेटों की जरुरत है, वे सीधे ही 30 जून, 1975 को या उस के पूर्व मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को पूंजीगत माल/भारती विद्युतीय संयंत्र के आयात के लिए निर्धारित प्रपत्र (हैंडबुक क्रियाविधि, 1974–75 के परिशिष्ट –3 के प्रपत्र के अनुसार) में भेजें । इसे संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों के माध्यम से न भेजा जाए । आवेदकों को आवेदन पत्र में क्रम संख्याएं 2(3), (4) और (5), 7, 8, 10, 11, 12, 14 और 16 के मदें व्यौरे भेजने की जरूरत नहीं है । लेकिन, उन्हें अपने आवेदनपत्रों के साथ निम्नलिखित सूचना भेजनी चाहिए :—

(1) वर्ष 1973–74 के दौरान उत्पादित मदों की मात्रा एवं फैक्ट्री पूर्व मूल्य दोनों के रूप में उत्पादन ।

(2) 1973–74 के दौरान राज्य विद्युत बोर्ड या अन्य उपयोगी सार्वजनिक पद्धतियां द्वारा प्रदान की गई बिजली की खपत की मात्रा ।

(3) वर्ष 1975–76 के दौरान प्रत्याशित उत्पादन (मात्रा और मूल्य में) ।

(4) 1974–75 के दौरान वर्तमान प्रत्याशा के आधार पर डीजल शक्ति जेनरेटिंग सेट् (टों) को काम करने के लिए हाई स्पीड डीजल आयल/लाइट डीजल आयल की अनुमति खपत की मात्रा ।

(5) विशिष्टिकरण, आयात का देश, आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित उपस्करों के लागत-बीमा -भाड़ा मुल्य और वितरण अनुसूची को छोड़कर, इसके साथ संभरकों का बीजक प्रपत्र ।

5. ऐसे फालतू पुर्जों के आयात की भी अनुमति होगी जिनका मूल्य लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा । वे आवेदक जो जेनरेटिंग सेटों के साथ फालतू पुर्जों का आयात करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें फालतू पुर्जों के आयात के लिए जो मुल्य होगा, उसे बीजक प्रपत्र एवं आयात आवेदन-पत्र में शामिल करना चाहिए ।

6. आवेदन करने से पूर्व वास्तविक उपयोक्ताओं से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात का सुनिश्चित कर लें कि वे उन राज्य विद्युत बोर्डों जिन से वे सामान्यतः अपनी बिजली प्राप्त करते रहे हैं, इस प्रकार के डीजल जेनरेटिंग सेट सहारों को लगाने के लिए विद्युत (संभरण) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर लेंगे।

7. 30 जून, 1975 के बाद के आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन-पत्र जब और जैसे ही प्राप्त किए जाएंगे उन पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974